राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10)विभाग

क्रमांकः एफ.17(173)गृह–10 / 2017 जयपुर, दिनांकः 02/8/2018

परामर्शदात्री

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 754 / 2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2018 के द्वारा समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं जनसमूहों द्वारा बिना किसी कानूनी कार्यवाही के गैर कानूनी अदालत द्वारा सरसरी सुनवाई के बाद अपराधी को मौत के घाट उतार देना (Lynching) के सम्बन्ध में प्रदान किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त निर्णय की पालना अक्षरशः किये जाने हेतु निम्न परामर्श दिया जाता हैः–

1. प्रत्येक जिले मे संबंधित पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त करे एवं उनकी सहायता के लिए उप पुलिस अधीक्षक / सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्त करें एवं उनको यह निर्देश प्रदान करें कि वे **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

2. राज्य के जिलो, उप खण्डों, गॉवों की पहचान करे, जहां हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching की घटनाऐं पिछले पांच वर्ष में घटित हुई है। उक्त कार्य तीन सप्ताह में पूर्ण करे।

3. **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** के सम्बन्ध में राज्य के वे क्षेत्र जो संवेदनशील है, थानाधिकारी विशेष सतर्कता बरते।

4. प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी नियमित रुप (कम से कम प्रत्येक माह में एक बार) से स्थानीय इन्टेलीजेन्सी इकाई एवं सभी थानाधिकारियों के साथ बैठक करें ताकि **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** को रोका जा सकें।

5. महानिदेशक पुलिस प्रत्येक सोमवार को आयोजित होनेवाले वीडियों कॉन्फ्रेस में **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** के विषय को भी सम्मिलित करे एवं अन्तर जिले में समन्वय स्थापित करें।

6. अगर पुलिस अधिकारी को अंदेशा है कि **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** किये जाने की संभावना है, तो ऐसी भीड को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तितर–बितर करें।

7. संबंधित पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानो में गश्त की व्यवस्था करें।

8. सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकें एवं सोशल मीडिया पर अगर ऐसे संदेश प्रेषित किये जाते है, जो धारा 153ए भारतीय दण्ड संहिता की परिधि एवं अन्य विधि में आते है, तो धारा 153ए भारतीय दण्ड संहिता व अन्य विधियों में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान करें।

9. अगर स्थानीय पुलिस के नोटिस में आता है कि **समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching** की संभावना है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। संबंधित थानाधिकारी तुरन्त उसकी सूचना नोडल अधिकारी को दे, कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार न हो एवं नोडल अधिकारी स्वयं उसका मॉनिटरिंग करे एवं निश्चित समयावधि में आरोप–पत्र पेश हों।

10. अगर कोई पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उसकी स्वैच्छिक रुप से लापरवाही मानी जायेगी, वह दुराचरण का दोषी होगा एवं उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र अग्रवाल)

क्रमांक :- प.17(173)गृह-10/2017 जयपुर दिनांक :- 6/8/2018 अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त,..
5. महानिरीक्षक रेंज..
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट, ...
8. जिला पुलिस अधीक्षक, ...
9. रक्षित पत्रावली।

6/8/18

(रमेश कुमार शर्मा)

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

अति–आवश्यक / प्राथमिकता दें

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :– प.17(173) गृह–10 / 2017 जयपुर, दिनांकः 06/8/2018

1. विधि सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

2. निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– रिट पिटीशन (सिविल) 754 / 2016 तहसीन एस. पुनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय 17.07.2018 के क्रम में।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 754 / 2016 तहसीन एस. पुनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय 17.07.2018 के सम्बन्ध में समूहों द्वारा हिंसा एवं **Lynching** के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु आपके अधीनस्थ लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक / विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिशा–निर्देश जारी करें।

भवदीय,
6/8/18
(रमेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :– एफ. 17(173)गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 13/08/2018

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.07.2018 के द्वारा समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं जनसमूहों द्वारा बिना किसी कानूनी कार्यवाही के गैर कानूनी अदालत द्वारा सरसरी सुनवाई के बाद अपराधी को मौत के घाट उतार देना (Lynching) के सम्बन्ध में प्रदान किया है। उक्त निर्णय की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थापित **जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।** नोडल अधिकारी अपनी सहायतार्थ पुलिस उप अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त को नियुक्त करें।

राज्य सरकार यह आदेशित करती है कि नोडल अधिकारी समूहों द्वारा हिंसा (Mob Violence) एवं Lynching को रोकने के माननीय उच्चतम न्यायालय ,द्वारा प्रदान किये गये निर्णय/आदेश की अनुपालना में आवश्यक कदम उठायें।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3.अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी.आईडी. (सी.बी) राजस्थान जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त ....
5, महानिरीक्षक रेंज...
6. पुलिस आयुक्त , जयपुर/ जोधपुर
7. जिला मजिस्ट्रेट..
8. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित हैः–
1. पुलिस उपायुक्त....................................
2. जिला पुलिस अधीक्षक...................................

अनुभागाधिकारी

5-U

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

पौष 21, बुधवार, शाके 1933–जनवरी 11, 2012

Pausa 21, Wednesday, Saka 1933–January 11, 2012

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2012

एस. ओ. 157 :– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) को धारा 357–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए और पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले ऐसे पीड़ितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित स्कीम विरचित करती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम.**– इस स्कीम का नाम राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 है।

2. **परिभाषाएं.**– (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस स्कीम में,–

(क) ''संहिता'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है ;

(ख) ''अनुसूची'' से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ; और

(घ) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति पीड़ित में उसके आश्रित भी सम्मिलित हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः संहिता और साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 में समनुदिष्ट किया गया है।

3. पीड़ित प्रतिकर निधि.– (1) पीड़ित प्रतिकर निधि नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा जिसमें से इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम पीड़ित या उसके आश्रितों को संदत्त की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रतिवर्ष इस स्कीम के लिए पृथक बजट आवंटित करेगी।

(3) निधि सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जायेगी।

4. पात्रता .– कोई पीड़ित या उसका आश्रित प्रतिकर की मंजूरी के लिए पात्र होगा, यदि :–

(क) उसे केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है ;

(ख) पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति से कुटुम्ब की आय को हानि पहुंचाई है जिससे वित्तीय सहायता के बिना उनका गुजारा करना कठिन हो गया है या अपनी आय से अधिक मानसिक/शारीरिक क्षति के चिकित्सीय उपचार पर खर्च कर दिया है ;

(ग) घृणित अपराध का कुकर्मी पकड़ा नहीं गया है या विचारण के पश्चात् दण्डित नहीं हुआ है किन्तु पीड़ित अभिज्ञेय है और उसे शारीरिक और मानसिक पुनर्वास पर व्यय उपगत करना है, ऐसा पीड़ित, संहिता की धारा 357--क की उप--धारा (4) के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए भी आवेदन कर सकेगा।

(घ) अपराधी पकड़ा या अभिज्ञात नहीं किया गया है, किन्तु पीड़ित अभिज्ञात है और जहां कोई विचारण नहीं हुआ है वहां ऐसा पीड़ित, संहिता की धारा 357--क की उप--धारा (4) के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए भी आवेदन कर सकेगा ;

(ङ) पीड़ित/दावेदार बिना किसी अयुक्तियुक्त विलंब के क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट करता है परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है, लेखन द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विलंब को माफ कर सकेगा ; और

(च) पीड़ित/दावेदार मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है।

5. प्रतिकर की मंजूरी के लिए प्रक्रिया .– (1) जब कभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357--क की उप--धारा (2) और (3) के अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है या उप--धारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा कोई आवेदन किया जाता है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट किये गये आपराधिक कियाकलाप से उत्पन्न और पीड़ित/दावेदार को कारित हानि या क्षति के सम्बन्ध में दावे की अंतर्वस्तु

का सत्यापन करेगा और असलियत का अवधारण करने के क्रम में आवश्यक अन्य किसी सुसंगत जानकारी की मांग कर सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार दो मास के भीतर प्रतिकर प्रदान करेगा।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अंत्येष्टि व्ययों इत्यादि जैसे ऐसे आनुषंगिक प्रभारों को सम्मिलित करते हुए पीड़ित को कारित हानि, उपचार पर उपगत किये जाने वाले चिकित्सा व्ययों, पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम रकम के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा। प्रतिकर, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होते हुए केस प्रति केस घट–बढ़ सकेगा।

(3) इस स्कीम के अधीन प्रतिकर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए संदत्त किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय किसी पश्चावर्ती तारीख पर निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्तियों को संहिता की धारा 357 की उप–धारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है तो पीड़ित/दावेदार प्रतिकर की रकम के समतुल्य आदिष्ट किसी रकम या संहिता की धारा 357 की उक्त उप–धारा (3) के अधीन संदत्त की जाने वाली आदिष्ट रकम, इनमें से जो भी कम हो, का परिहार करेगा। इस आशय का एक वचनबंध प्रतिकर की रकम के संवितरण से पूर्व पीड़ित/दावेदार द्वारा दिया जायेगा।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित प्रतिकर की मात्रा, पीड़ित या, यथास्थिति, उसके आश्रितों को पीड़ित प्रतिकर निधि से संवितरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के संबंध में राज्य से पीड़ित द्वारा प्राप्त प्रतिकर अर्थात्:– बीमा, अनुग्रह और/या किसी अन्य अधिनियम या राज्य द्वारा चलायी जा रही किसी स्कीम के अधीन प्राप्त संदाय, इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम के भाग के रूप में समझे जायेंगे और यदि इस स्कीम के अधीन मंजूर प्रतिकर की रकम उपर्युक्त वर्णित सांपार्श्विक स्रोतों से पीड़ित द्वारा प्राप्त संदायों से अधिक हैं तो अतिशेष रकम पीड़ित प्रतिकर निधि में से संदत्त की जायेगी।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन आने वाले मामले, जहां प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान किये जाते हैं, इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

(7) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, जो प्रभारी अधिकारी से अनिम्न रैंक का न हो, या मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर, तुरन्त निःशुल्क प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सीय फायदे या कोई अन्य अन्तरिम अनुतोष, जो वह ठीक समझे, उपलब्ध कराने के लिए आदेश कर सकेगा।

(8) पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा, अनुसूची के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

6. अभिलेख पर आदेश का रखा जाना .– इस स्कीम के अधीन पारित प्रतिकर के आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख पर न्यायालय को संहिता की धारा 357 की उप–धारा (3) के अधीन प्रतिकर का कोई आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए रखी जायेगी।

7. परिसीमा.– संहिता की धारा 357 क की उप–धारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा, अपराध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है तो कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, दावा फाइल करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा।

8. प्रतिकर की वसूली.– (1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि ठीक समझे तो व्यक्ति, जो उसके द्वारा कारित अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी हैं, से पीड़ित या उसके आश्रितों को मंजूर किये गये प्रतिकर की वसूली के लिए संबंधित लोक अभियोजक कार्यालय के परामर्श से, सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करेगा।

(2) इस प्रकार वसूली गयी रकम पीड़ित प्रतिकर निधि में निक्षिप्त की जायेगी।

अनुसूची

{नियम 5 (8) देखिए}

क्र.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि	2,00,000 / – रु.
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गयी है	1,00,000 / – रु.
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत कम विकलांगता हो गयी है	50,000 / – रु.
4.	अवयस्क के साथ बलात्संग	3,00,000 / – रु.
5.	बलात्संग	2,00,000 / – रु.
6.	पुनर्वास	1,00,000 / – रु.
7.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गयी है	25,000 / – रु.

1	2	3
8.	मानव दुर्व्यापार जैसे मामलें में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या क्षति हुई है	25,000/– रु.
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	20,000/– रु.
10.	तेजाब द्वारा सिर या चेहरे की स्थायी विद्रूपिता	2,00,000/– रु.

[संख्या एफ.17(154)होम/10]
राज्यपाल के आदेश से,
जी. एस. संधु,
प्रमुख शासन सचिव।

HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, January 05, 2012

S.O. 157:- In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the State Government hereby frame the scheme for providing funds for the compensation to the victims or their dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:-

1. Short Title.- This scheme may be called the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011.

2. Definitions .- (1) In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this scheme;

(c) "State" means the State of Rajasthan; and

(d) "Victim" means a person who has suffered loss or injury as a result of crime and require rehabilitation and the expression victim includes his dependents.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code 1860 (Central Act No.45 of 1860) or the General Clauses Act, 1955 (Central Act No. VIII of 1955 Act) have the same meanings respectively as assigned to them in the Code and the General Clauses Act 1955.

3. Victim Compensation Fund. - (1) There shall be constituted a fund namely Victim Compensation Fund from which amount of compensation under this scheme shall be paid to the victim or his dependants.
(2) The State Government shall allot a separate budget for this scheme every year.
(3) The fund shall be operated by the Secretary, State Legal Services Authority.

4. Eligibility.- A victim or his dependents shall be eligible for the grant of compensation if :-

(a) he/she has not been compensated for the loss or injury under any other scheme of the Central/State Government or any other institution.;

(b) loss or injury sustained by the victim or his dependents should have caused loss of income of the family making it difficult to meet their both ends without the financial aid or has to spend beyond his means on medical treatment of mental/physical injury;

(c) the perpetrator of a heinous crime is not traceable or goes unpunished after trial, but the victim is identifiable and has to incur of expenses on physical and mental rehabilitation, such victim may also apply for the grant of compensation under sub-section (4) of section 357-A of the Code;

(d) the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Code;

(e) the victim/claimant report the crime without unreasonable delay to the Judicial Magistrate of the area provided that the District Legal Service Authority, if Satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay; and

(f) the victim/claimant cooperate with the police and prosecution during the investigation and trial of the case.

5. Procedure for grant of compensation.- (1) Whenever a recommendation is made by the Court under sub-section (2) and (3) or an application is made by any victim or his/her dependent under sub-section (4) of section 357-A of the Code to the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, the District Legal Service Authority or the State

Legal Service Authority, as the case may be. shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim/claimant and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness. The District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall award compensation within two months. in accordance with provisions of this Scheme.

(2) The District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded to victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation mav vary from case to case depending on fact of each case.

(3) Compensation under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub section (3) of section 357 of the code. the victim/Claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of compensation, or the amount ordered to be paid under the said sub section (3) of section 357 of the Code, whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before disbursal of the compensation amount.

(4) The quantum of compensation decided by the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Victim Compensation Fund.

(5) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, **ex-gratia** and /or payment received under any other Act or scheme run by the State shall be considered as part of the compensation amount under this scheme and if the compensation amount granted under this scheme exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above. the balance amount shall be paid out of Victim Compensation Fund .

(6) The cases covered under Motor vehicle Act, 1988(Central Act No. 59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(7) The District Legal Services Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as it may deem fit.

(8) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependants shall not be exceeded from the maximum limit as per Schedule.

6.Order to be placed on record.- Copy of the order of compensation passed under this scheme shall be placed on record of the trial Court to enable the court to pass *a*n order of compensation under sub-section (3) of section 357-A of the code.

7. Limitation.- No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Code shall be entertained after a period of one year from the date of commission of the crime:

Provided that the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

8. Recovery of compensation.- (1) The District Legal Service Authority *or* the State Legal Service Authority, as the case may be, if deemed fit shall institute proceedings before the competent Court of Law in consultation with the office of concerned public prosecutor for recovery of the compensation granted to the victim or his dependants from the person responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by them.

(2) The amounts, so recovered, shall be deposited in the Victim Compensation Fund.

SCHEDULE

[See rule 5 (8)]

S.N.	**Particulars of loss or injury**	**Maximum Limit of compensation**
1	**2**	**3**
1.	Loss of Life	Rs, 2,00,000/-
2.	Loss of any limb or part of body resulting 80% or a above Handicap.	Rs. 1,00,000/-

1	2	3
3.	Loss of any limb or part of body resulting 40%& below 80% Handicap.	Rs, 50,000/-
4.	Rape of Minor	Rs, 3,00,000/-
5.	Rape	Rs, 2,00,000/-
6.	Rehabilitation	Rs, 1,00,000/-
7.	Loss of any limb or part of body resulting 40% Handicap.	Rs, 25,000/-
8.	Loss of any injury causing sever mental agony to women and child victims in case like Human Trafficking/	Rs, 25.000/-
9.	Simple loss or injury to child victim.	Rs, 20,000/-
10.	Permanent disfiguration of the head or face by acid	Rs, 2,00,000/-

[No. F. 17 (154) Home/10]

By Order of the Governor,

जी. एस. संधु,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 18, बुधवार, शाके 1937-अप्रेल 8, 2015 *Chaitra 18, Wednesday, Saka 1937-April 8, 2015*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 6, 2015

संख्या एफ.17(154)गृह-10/2010 :- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस स्कीम का नाम राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2015 है।

(2) इस संशोधन स्कीम के,-

(i) खण्ड 4 के उपबंध, जिसके द्वारा नया खण्ड 5क अंतःस्थापित किया गया है, 05.08.2014 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे;

(ii) शेष खण्डों के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **खण्ड 2 का संशोधन.-** राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के खण्ड 2 के विद्यमान उप-खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(घ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपराध के परिणामस्वरूप किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है और इसमें उसका संरक्षक या विधिक वारिस और आश्रित सम्मिलित है।"

3. **खण्ड 5 का संशोधन.-** उक्त स्कीम के खण्ड 5 में,-

(i) उप-खण्ड (1) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर, विशेष न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त किया जायेगा।"

(ii) उप-खण्ड (3) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु उपर्युक्त उप-खण्ड (3) के उपबंध, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन लैंगिक अपराधों से पीड़ित के लिए लागू नहीं होंगे।"

(iii) उप-खण्ड (5) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु इस स्कीम की कोई बात, किसी बालक, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन पीड़ित है या उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियम या स्कीम के अधीन अनुतोष चाहने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी।"

(iv) उप-खण्ड (8) में, निम्नलिखित नये परंतुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

"परंतु प्रतिकर की उपर्युक्त सीमा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की दशा में लागू नहीं होगी।

परंतु यह और कि इस स्कीम के अधीन अधिनिर्णित किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त होगी और न्यायालय द्वारा पीड़ित को संदत्त किये जाने के लिए आदिष्ट होगा।"

4. **नये खण्ड 5क का अंतःस्थापन.-** उक्त स्कीम के विद्यमान खण्ड 5 के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 6 के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड 5क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"5क अम्ल (एसिड) हमले की दशा में विशेष प्रक्रिया.- (1) खण्ड 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते पर भी, अम्ल (एसिड) हमले की दशा में तीन लाख रुपये की राशि, ऐसी घटना के घटित होने या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से प्राप्त सूचना के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे पीड़ित या उसके आश्रित या उसके संरक्षक को संदत्त की जायेगी।

(2) जब किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समर्थित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का दायी होगा। जब मामला जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाया जाता है तो वह तत्काल इस संबंध में चिकित्सीय ध्यान और व्ययों को सुकर बनायेगा और प्रतिकर अधिनिर्णय के लिए दो दिन के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी सिफारिश भेजेगा।"

5. **अनुसूची का प्रतिस्थापन.–** उक्त स्कीम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

अनुसूची
(नियम 5 (8) देखिए)

क्र. सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/–
	जीवन हानि (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/–
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/–
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/–
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 80,000/–
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 50,000/–
4.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है।	रु. 25,000/–
5.	अवयस्क के साथ बलात्संग	रु. 5,00,000/–
6.	बलात्संग	रु. 5,00,000/–
7.	पुनर्वास	रु. 1,00,000/–
8.	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरुपयोग और व्यपहरण जैसे मामलें में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या कोई क्षति हुई है।	रु. 25,000/–
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	रु. 20,000/–
10.	अम्ल (एसिड) हमले का पीड़ित	रु. 3,00,000/–
11.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ख) गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ग) लैंगिक हमला	रु. 1,00,000/–
	(घ) गुरुतर लैंगिक हमला	रु. 2,00,000/–
	(ङ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग	रु. 1,00,000/–

टिप्पण : अंतरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय संदेय होंगे :–

(i) दाह संस्कार व्यय : रु. 10,000/–

(ii) चिकित्सा व्यय रु. 25,000/– तक

(iii) बालक की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 50%

(iv) व्यस्क की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 25%

राज्यपाल के आदेश से,
ए. मुखोपाध्याय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 2015

No. F 17 (154)Home-10/2010:-In exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the State Government hereby makes the following scheme further to amend the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)This Scheme may be called the Rajasthan Victim Compensation (Amendment) Scheme, 2015.

(2) Provisions of-

(i) clause 4 of this amendment scheme by which new clause 5A inserted, shall be deemed to have come into force with effect from 05-08-2014.

(ii) remaining clauses of this amendment scheme shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of clause 2.- The exiting sub-clause (d) of clause 2 of the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011, herein after referred to as the said scheme, shall be substituted by the following, namely:-

"(d) "Victim" means a person who has suffered any loss or injury as a result of crime and requires rehabilitation and includes his or her guardian or legal heir or dependent."

3. Amendment of clause 5.- In clause 5 of the said scheme,-

(i) in sub-clause (1), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the compensation awarded by the Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be paid within 30 days from the date of receipt of the order of the Special Court."

(ii) in sub-clause (3), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the provisions of above sub-clause (3) shall not apply for the victim of sexual offences under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and rules made there under."

(iii) in sub-clause (5), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that nothing in this scheme shall prevent a child who is victim under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 or his parents or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence from submitting an application for seeking relief under any other rules or scheme of the Central Government or State Government."

(iv) in sub-clause (8), the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided that the above limit of compensation shall not apply in case of compensation awarded by the Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Provided further that the quantum of compensation to be awarded under this scheme shall be in addition to the fine imposed under section 326A or section 376D of Indian Penal Code, 1860 and ordered to be paid to victim by the Court."

4. Insertion of new clause 5A.- After the existing clause 5 and before the existing clause 6 of the said scheme, the following new clause 5A shall be inserted, namely:-

"**5A. Special Procedure in case of acid attack.-** (1) Notwithstanding anything contained in clause 5, in case of acid attack a sum of Rupees three lac shall be paid to such victim or his or her dependent or his or her guardian within fifteen days of occurrence of such incident or the information received from officer in charge of police station.

(2) When the information received by the officer in charge of a police station he shall be liable to furnish the copy of the FIR supported by medical report to the District Magistrate and the District Legal Services Authority within three days. When the case brought to the notice of the District Magistrate he shall immediate facilitate medical attention and expenses in this regard and send his

recommendation to the District Legal Services Authority within two days to award the compensation."

5. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE

[See rule 5 (8)]

S. No.	Particulars of loss or injury	Maximum Limit of compensation
1	2	3
1.	Loss of Life (earning member)	Rs. 5,00,000/-
	Loss of Life (non earning member)	Rs. 2,50,000/-
2.	Loss of any limb or part of body resulting above 80% disability (earning member)	Rs. 5,00,000/-
	Loss of any limb or part of body resulting above 80% disability (non earning member)	Rs. 2,50,000/-
3.	Loss of any limb or part of body resulting above 40% and up to 80% disability (earning member)	Rs.80,000/-
	Loss of any limb or part of body resulting above 40% and up to 80% disability (non earning member)	Rs.50,000/-
4.	Loss of any limb or part of body resulting up to 40% disability	Rs. 25,000/-
5.	Rape of Minor	Rs. 5,00,000/-
6.	Rape	Rs. 5,00,000/-
7.	Rehabilitation	Rs. 1,00,000/-
8.	Loss of any injury causing severe mental agony to women and child victims in case like Human Trafficking, child abuse and kidnapping	Rs. 25,000/-
9.	Simple loss or injury to child victim.	Rs. 20,000/-
10.	Victim of acid attack	Rs. 3,00,000/-
11.	Offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012	
	(a) Penetrative Sexual Assault	Rs. 5,00,000/-
	(b) Aggravated Penetrative Sexual Assault	Rs. 5,00,000/-
	(c) Sexual Assault	Rs. 1,00,000/-
	(d) Aggravated Sexual Assault	Rs. 2,00,000/-
	(e) Using child for pornographic purposes	Rs. 1,00,000/-

Note: The following expenses shall be payable as interim relief:-

(i) Funeral expenses: Rs. 10,000/-.
(ii) Medical expenses up to Rs. 25,000/-.
(iii) Interim relief in case of child 50% of maximum limit of compensation.
(iv) Interim relief in case of adult person 25% of maximum limit of compensation.

"

By Order of the Governor,

A. Mukhopadhaya,
Add. Chief Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.